(राजस्थान सरकार)

निर्णय ब–इजलास प्रकाश कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

प्रकरण संख्या 39/2023 (धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

1. सरकार जरिये थानाधिकारी नीमराणा जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

–प्रार्थी

बनाम

1. उमाकान्त पुत्र लालचन्द जाति राजपुत निवासी आर 107/436 खिचड़ीपुर थाना कल्याणपुरा दिल्ली 91

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल को राजसात करने बाबत।

उपस्थित

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 03.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2014 को अति0 पुलिस अधीक्षक नीमराणा के द्वारा रात्रि गश्त के समय बोलेरो कैम्पर वाहन तेजी से काठूवास की तरफ से आने पर नाकाबंदी पर रोकना चाहा तो चालक गाड़ी छोड़कर भागना चाहा जिसे पकड़कर पुछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नही दिया तथा अपना नाम उमाकान्त पुत्र लालचन्द जाति राजपुत पता आर 107/436 खिचड़ीपुर थाना कल्याणपुरा दिल्ली 91 होना बताया चैक करने पर गाड़ी में 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल पाये गये जिसके बारे में वाहन चालक ने डीजल ले जाने बाबत का लाइसेंन्स व परमिट न होना बताया तथा डीजल हरियाणा से खरीदकर राजस्थान में बेचान करना बताया। चालक का यह कृत्य जुर्म धारा अन्तर्गत 3/7 ईसी एक्ट 1955 में आने से गाड़ी बोलेरो कैम्पर गोल्ड सीएच 01 टीए 2343 को मय 03 प्लास्टिक ड्रम डीजल तेल से भरे हुए बतौर वजह सबुत जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस में लिया गया तथा इन डीजल ड्रमों से सैम्पल लिया गया। थानाधिकारी मांढण को जप्तसुदा गाड़ी व ड्रम व गिरफ्तारसुदा मुलजिम के दस्ती दिया जाकर निर्देश दिये गये कि अभियोग दर्ज कर पालना रिपोर्ट से अवगत करायें तथा अभियोग संख्या 91/2014 धारा अन्तर्गत 3/7 ईसी एक्ट में पुलिस थाना मांढण में दर्ज कर असल एफआईआर मय फर्दात तफ्दीश हेतु सुपुर्द की गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर में असल आरसी, डीसी व चालक का डीएल वाहन के मुखत्यार आम खास उतम चन्द लुहार द्वारा पेशशुदा को जरिये फर्द जप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण हाजा में अब तक तकमील तफ्तीश व पत्रावली पर संकलित साक्ष्यो से अभियुक्त उमाकान्त पुत्र लालदास जाति ठाकुर निवासी आर 107/436 खिचड़ीपुर थाना कल्याणपुरा दिल्ली 91 के विरूद्ध धारा 3/7 ईसी एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया साबित पाया है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में तफ्तीश की जा चुकी है। अन्य किसी प्रकरण में वांछित नही है। प्रकरण में जप्तशुदा 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल जिसे राजसात (Conficate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा किया गया कृत्य धारा 3/7 ई०सी० एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। विभागीय पैरोकार रसद ने जब्त 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत निस्तारण कर राजसात (Conficate) करने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

5. पैरोकार रसद की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 27.05.2014 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अप्रार्थी ने उपस्थित होकर कोई जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी के कब्जे से जप्त 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से कालाबाजारी करना प्रतित होता हैं एवं दुरूपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्तशुदा 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल को राजसात किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त 03 प्लास्टिक ड्रम मय डीजल के नियमानुसार निस्तारण कर तदानुसार निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड